कार्यालय शीरा नियन्त्रक एवं आबकारी आयुक्त,उत्तराखण्ड,देहरादून।

संख्या 14632 / 298–दो उत्पादन–शीरा/शीरा नीति/2013–14 व 2014–15/देहरादून:दिनांक:फरवरी 28 ,2014

आदेश

मैं विनय शंकर पाण्डेय, शीरा नियन्त्रक एवं आबकारी आयुक्त ,उत्तराखण्ड शीरा नियन्त्रण अधिनियम–1964 तथा तत्सम्बन्धित नियमावली में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग के शासनादेश संख्या 127 /XXIII/2014/04 (42)/2011 देहरादून दिनांक: 28,फरवरी ,2014 के कम में शीरा वर्ष 2013–14 व 2014–15 के लिए उत्तराखण्ड की चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे के सम्बन्ध में शीरा नीति निर्धारण हेतु निम्नलिखित आदेश देता हूँ:–

1. राज्य व जनहित में शीरा नीति का निर्धारण वर्ष 2013–14 व 2014–15 हेतु किया जाता है।
2. शीरा वर्ष 2013–14 व वर्ष 2014–15 में उत्पादित शीरे में से यथावश्यकता अधिकतम 10 प्रतिशत अंश शीरा औद्योगिक इकाईयों, जिनमें वरीयता के आधार पर सहकारी पशु आहार ,यू0एल0डी0बी0 तथा अन्य पशु आहार निमार्ताओं हेतु एवं अधिकतम 20 प्रतिशत अंश देशी मदिरा निर्माताओं को आपूर्ति हेतु आरक्षित रखा जायेगा तथा शेष अंश स्वतन्त्र रूप से बिकी हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।
3. उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत स्थित चीनी मिलों के द्वारा उत्पादित शीरा को विकय किये जाने पर समस्त शीरे पर ₹ 15/–प्रति कुन्तल की दर से प्रशासनिक शुल्क प्रभार देय होगा।
4. देशी मदिरा के उत्पादन हेतु वर्ष में प्रयुक्त शीरे की मात्रा के आगणन के दृष्टिगत आसवनियों द्वारा प्रतिमाह चीनी मिलों से शीरे के उठान न किये जाने पर चीनी मिलों को शीरा नियन्त्रक की पूर्वानुमति से यह अधिकार होगा कि वे ऐसे शीरे को खुले बाजार (निर्यात या स्वतन्त्र रूप से बिकी हेतु) में बेचने हेतु स्वतन्त्र होगी। आसवनियों द्वारा शीरा नियन्त्रक को यह लिखित रूप से सूचित करना होगा कि वह सम्बन्धित माह में कितना–कितना शीरा किस–किस चीनी मिल से कय कर रही है।
5. शीरा वर्ष 2013–14 व 2014–15 के लिए घोषित शीरा नीति शासनादेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

अत: उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

28/2/14

(विनय शंकर पाण्डेय)
शीरा नियन्त्रक एवं आबकारी आयुक्त
उत्तराखण्ड।

कमशः दो–पर

14633-46

संख्या / 298–दो उत्पादन–शीरा/शीरा नीति/2013–14व 2014–15/देहरादून तद्दिनांक

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, आबकारी उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 127/XXIII/ 2014/04(42)/2011 देहरादून दिनांकः 28,फरवरी ,2014 के कम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड, शासन।
3. गन्ना आयुक्त,उत्तराखण्ड ।
4. अपर आबकारी आयुक्त,प्रशासन/विभागीय, उत्तराखण्ड।
5. उद्योग निदेशक,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड ,कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन लिमिटेड, देहरादून।
7. वित्त नियन्त्रक,आबकारी मुख्यालय,देहरादून।
8. समस्त संयुक्त/उप आबकारी आयुक्त,मुख्यालय ।
9. समस्त जिला आबकारी अधिकारी,उत्तराखण्ड को अनुपालनार्थ।
10. नोडल अधिकारी,उत्तराखण्ड शुगर्स ,देहरादून।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी आसवनियां/उप आबकारी निरीक्षक चीनी मिलें, उत्तराखण्ड को अनुपालनार्थ।
12. समस्त आसवक, आसवनियां उत्तराखण्ड को अनुपालनार्थ।
13. समस्त अध्यासी/प्रधान प्रबन्धक,चीनी मिलें उत्तराखण्ड को अनुपालनार्थ।
14. समस्त केटिल फीड्स इकाईयाँ एवं तम्बाकू निर्माता इकाईयाँ उत्तराखण्ड को अनुपालनार्थ ।

28/2/14

(विनय शंकर पाण्डेय)
शीरा नियन्त्रक एवं आबकारी आयुक्त
उत्तराखण्ड।